सेठ बुद्धमल दूगड़ राजकीय महाविद्यालय, सरदारशहर

छात्रसंघ का संविधान

अनुच्छेद 1. नाम :– इस महाविद्यालय के नियमित छात्रों का एक छात्रसंघ होगा जो कि सेठ बुद्धमल दूगड़ राजकीय महाविद्यालय, सरदारशहर छात्रसंघ नाम से जाना जायेगा।

अनुच्छेद 2. उद्देश्य :– इस छात्रसंघ का उद्देश्य इस महाविद्यालय के समस्त नियमित छात्रों का सर्वांगीण विकास करना होगा। उक्त उद्देश्य की प्राप्ति हेतु छात्रसंघ अधोलिखित कार्य करेगा : –

(i) शैक्षणिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा वाद–विवाद प्रतियोगिताएं, विचारगोष्ठियां, विद्वानों के व्याख्यान,निबन्ध प्रतियोगिताएं, कार्यशालाएं, संगीत गोष्ठियां, नाटक आदि का आयोजन करना।

(ii) समाज व राष्ट्रीय हित विषयककार्यक्रम आयोजित करना जैसे प्रदर्शनियां, श्रमदान, पौढ़ शिक्षा प्रचार, राष्ट्रीय पर्व व देश के महान् व्यक्तियों की जयन्तियां मनाना आदि।

(iii) *नेतृत्व क्षमता विकसित करना जिससे कि छात्रों में नेतृत्व गुणों को पल्लवित/रोपित किया जा सके।*

(iv) शारीरिक विकास से सम्बन्धित प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।

(v) सामाजिक समस्याओं के प्रति सजग रहने तथा सामाजिक सद्भाव की भावना विकसित करने हेतु कार्यक्रम आयोजित करना।

(vi) अन्य उन सब कार्यों को पूरा करना जो मूल उद्देश्य की पूर्ति से सम्बन्धित हों।

अनुच्छेद 3. परिभाषाएं –निम्नलिखित शब्दों का अर्थ इस संविधान में वही होगा जो इनके सामने दिया गया है।

(i) *संविधान* :–संविधान का तात्पर्य सेठ बुद्धमल दूगड़ राजकीय महाविद्यालय छात्रसंघ संविधान से होगा।

(ii) *महाविद्यालय* :–महाविद्यालय से तात्पर्य सेठ बुद्धमल दूगड़ राजकीय महाविद्यालय, सरदारशहर से होगा।

(iii) *संरक्षक* :–संरक्षक से तात्पर्य सेठ बुद्धमल दूगड़ राजकीय महाविद्योलय, सरदारशहर के प्राचार्य/ कार्यवाहक प्राचार्य से होगा।

(iv) *छात्रसंघ* :–छात्रसंघ से तात्पर्य सेठ बुद्धमल दूगड़ राजकीय महाविद्यालय, सरदारशहर के छात्रों के संघ से होगा।

(v) *परामर्शदाता* :–परामर्शदाता से तात्पर्य प्राचार्य द्वारा परामर्शदाता पद के लिए नियुक्त संकाय सदस्य/संकाय सदस्यों से होगा।

(vi) *अनुच्छेद* :– अनुच्छेद से तात्पर्य इस संविधान के अनुच्छेद से होगा। खण्ड से तात्पर्य उसके खण्ड से होगा जिसे (i) (ii) (iii) आदि के रूप में दर्शाया गया है। उपखण्ड से तात्पर्य खण्ड के भाग से होगा जिसे (क) (ख) (ग) आदि के रूप में दर्शाया गया है।

अनुच्छेद 4. सदस्यता : –

महाविद्यालय के समस्त नियमित विद्यार्थी छात्रसंघ के सदस्य होंगे। प्रत्येक सदस्य को महाविद्यालय शुल्क के साथ प्राचार्य द्वारा निर्धारित छात्रसंघ सदस्यता शुल्क अनिवार्य रूप से देना होगा।

अनुच्छेद 5 अनुच्छेद. छात्रसंघ का गठन : – (i) छात्रसंघ प्रतिनिधि सभा कार्यकारिणी परिषद् से निर्मित होगा।

(ii) प्राचार्य छात्रसंघ के संरक्षक होंगे।

अनुच्छेद 6. प्रतिनिधि सभा– (i) प्रतिनिधि सभा में प्रत्येक कक्षा/कक्षा अनुभाग के साधारण बहुमत के आधार पर प्रत्यक्ष गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा निर्वाचित सदस्य होंगे जो कक्षा प्रतिनिधि कहलायेंगे।

(ii) कक्षा/कक्षा अनुभाग से न्यूनतम् एक प्रतिनिधि निर्वाचित होगा ।

(iii) यदि किसी कक्षा/ कक्षा अनुभाग में 70 या उससे अधिक विद्यार्थियों की संख्या होगी तो उसमें से 2 प्रतिनिधि निर्वाचित होंगे।

(iv)यदि किसी कक्षा/ कक्षा अनुभाग में 100 या उससे अधिक विद्यार्थियों की संख्या होगी तो उसमें से 3 प्रतिनिधि निर्वाचित होंगे।

(v) प्रत्येक कक्षा/कक्षा अनुभाग से निर्वाचन किये जाने वाले कक्षा प्रतिनिधियों की संख्या सम्बन्धी सूचना उम्मीदवारों द्वारा नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले दिन सूचना पट्ट पर चस्पा कर दी जायेगी।

(vi) प्रतिनिधि सभा का कोरम कुल सदस्यों का एक तिहाई भाग होगा। प्रत्येक प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित किया जायेगा।

अनुच्छेद 7.उम्मीदवारों के लिए पात्रता मानदंड

(i) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कर रहे 17 से 25 वर्ष के मध्य की आयु के छात्र चुनाव लड़ सकते है। आयु की गणना नामांकन पत्र दाखिल करने के दिन की जायेगी।

(ii) छात्रसंघ चुनाव हेतु उम्मीदवार के खाते में किसी भी परिस्थिति में कोई शैक्षिणिक बकाया (Academic arrears) चुनाव लड़ने के वर्ष में नहीं होना चाहिए।

(iii) उम्मीदवार द्वारा उपस्थिति का वह न्यूनतम प्रतिशत जो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किया जाये या 75 प्रतिशत उपस्थिति इन दिनों में से जो भी उच्चतर हो, हासिल किया जाना आवश्यक है।

(iv) उम्मीदवार के पास पदाधिकारी के पद के लिए चुनाव लड़ने का अवसर एक होगा तथा कार्यकारी सदस्य के पद पर चुनाव लड़ने हेतु दो अवसर होंगे।

(v) उम्मीदवार का पूर्व में कोई आपराधिक रिकोर्ड नहीं होना चाहिए अर्थात् वह कभी भी किसी आपराधिक कृत्य या दुराचरण के लिए विचारित (tried) और/या दोष सिद्ध नहीं किया गया हो। यह भी कि उम्मीदवार किसी भी अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी महाविद्यालय प्रशासन द्वारा नहीं बनाया गया हो।

(vi) उम्मीदवार महाविद्यालय का नियमित व पूर्णकालिक विद्यार्थी होना चाहिए।

अनुच्छेद 8. कार्यकारिणी परिषद :–

(i) कार्यकारिणी परिषद् के निम्नलिखित पदाधिकारियों का चुनाव प्रत्यक्ष गुप्त मतदान द्वारा होगा और वे प्रतिनिधि सभा के पदेन सदस्य होंगे :–

1. अध्यक्ष 2. उपाध्यक्ष 3. महासचिव 4. संयुक्त सचिव

(ii) कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा आवश्यकतानुसार अपनी स्वेच्छा से प्रतिनिधि सभा के सदस्यों में से संरक्षक को सूचित करते हुए की जायेगी :–

अनुच्छेद 9. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव व संयुक्त सचिव पदों के उम्मीदवारों के लिए पात्रता मानदण्ड :–

अनुच्छेद 7 के खण्ड (i) से (vi) तक उल्लेखित सभी पात्रता मानदण्ड।

अनुच्छेद 10. कार्यकारिणी परिषद् के अधिकार व कार्य :–

(i) वार्षिक बजट तैयार करना व उसे प्रतिनिधि सभा द्वारा पारित कराना।

(ii) प्रतिनिधि सभा की बैठक का एजेण्डा तैयार करना। एजेण्डा परामर्शदाता की सलाह से बनाया जायेगा तथा संघ के उद्देश्यों से संबंधित होगा।

(iii) चालू सत्र में आयोजित की जाने वाली छात्रसंघ की गतिविधियों से संबंधित कार्यक्रम बनाना।

(iv) अन्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्य करना।

अनुच्छेद 11. कार्यकारिणी परिषद् के निर्वाचित पदाधिकारियों के कर्तव्य व अधिकार :–

(i) अध्यक्ष :–

(क) कार्यकारिणी तथा प्रतिनिधि सभा की बैठकों में वह अध्यक्षता करेगा।

(ख) छात्रसंघ के कार्यों के लिए उत्तरदायी होगा।

(ग) सभी कार्य संरक्षक व परामर्शदाता की सलाह से करेगा।

(घ) वार्षिकोत्सव पर छात्रसंघ की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(ii) उपाध्यक्ष :–

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के कार्य सम्पादित करेगा तथा अन्य वे सभी कार्य करेगा जो समय–समय पर उसे सुपुर्द किये जायेंगे।

(iii) महासचिव :–

(क) कार्यकारिणी व प्रतिनिधि सभा की बैठके अध्यक्ष व परामर्शदाता की अनुमति से आयोजित करेगा।

(ख) सभी बैठकों की कार्यवाही का विवरण तैयार करेगा।

(ग) प्रतिनिधि सभा में बजट प्रस्तुत करेगा।

(iv) संयुक्त सचिव :– महासचिव की अनुपस्थिति मे महासचिव के कार्य सम्पादित करेगा तथा अन्य वे सभी कार्य करेगा जो समय–समय पर उसे सुपुर्द किये जायेंगे।

अनुच्छेद 12. *महाविद्यालय स्तर पर गठित शिकायत निवारण प्रकोष्ठ को चुनाव से सम्बन्धित शिकायतों की सुनवाई व निवारण का अधिकार होगा, जो कि चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन और चुनावी खर्चों सम्बन्धी शिकायतों को समाहित करेगा। अपने कर्तव्यों के निष्पादन में यह प्रकोष्ठ आचार संहिता के किसी पक्ष के उल्लंघनकर्ताओं या प्रकोष्ठ के आदेशों के उल्लंघनकर्ताओं को दंडित कर सकेगा। यह प्रकोष्ठ एक मौलिक क्षेत्राधिकार के न्यायालय के रूप में कार्य करेगा। संस्था अध्यक्ष के पास शिकायत प्रकोष्ठ के ऊपर उन सभी प्रकरणों में विवेकाधिकारपूर्ण अपीलीय क्षेत्राधिकार होगा।*

अनुच्छेद 13. चुनाव संबंधी व्यय एवं वित्तीय जवाबदेही :-

लिंगदोह समिति के अनुकूल राज्य सरकार द्वारा निर्धारित चुनाव संबंधी व्यय एवं वित्तीय जवाबदेही (परिशिष्ट-I के रूप में संविधान के साथ संलग्न) की अनुपालना उम्मीदवारों को अनिवार्यतः करनी होगी।

अनुच्छेद 14.छात्रसंघ चुनाव आचार संहिता :-

लिंगदोह समिति के अनुकूल राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आचार संहिता (परिशिष्ट-II के रूप में संविधान के साथ संलग्न) की अनुपालना अनिवार्यतः करनी होगी। निर्वाचन के दौरान यदि कोई प्रत्याशी इसका उल्लघंन करता है या किसी प्रकार का अशोभनीय अथवा अनुशानहीनता का कार्य करता है तो उसे चुनाव के अयोग्य घोषित करने का संरक्षक को अधिकार होगा तथा उसे निर्वाचित पद से भी वंचित किया जा सकेगा। आचार संहिता उल्लघंनकर्ता के विरूद्ध समुचित अनुशासनात्मक कार्यवाही संरक्षक द्वारा की जायेगी।

अनुच्छेद 15. परामर्शदाता

(i) संरक्षक द्वारा संकाय सदस्यों में से एक अथवा एक से अधिक संकाय सदस्यों को छात्रसंघ को परामर्श देनें हेतु परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

(ii) परामर्शदाता को छात्रसंघ की सभी प्रकार की बैठकों में भाग लेने का अधिकार होगा ।

(ii) परामर्शदाता इस बात का ध्यान रखेगा की इस संविधान का उल्लघंन न हों।

अनुच्छेद 16. छात्रसंघ की आय, व्यय व बजट :-

(i) छात्रसंघ की आय प्रतिवर्ष सत्र के आरम्भ में छात्रों से लिया गया छात्रसंघ शुल्क होगा।

(ii) उक्त (15.i) में वर्णित साधन के अलावा बिना प्राचार्य की स्वीकृति के कोई राशि व अन्य वस्तु आय के रूप प्राप्त नही की जा सकेगी। *सवैच्छिक योगदानों के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्रोत से कोई धनराशि लेना प्रतिबंधित है।*

(iii) आय में से व्यय बजट के अनुसार अथवा प्रतिनिधि सभा के पास किये गये प्रस्तावानुसार किया जायेगा।

(iv) व्यय का भुगतान महाविद्यालय कार्यालय द्वारा प्राचार्य के आदेश पर किया जायेगा तथा भुगतान संबंधी बिलों पर अध्यक्ष, संबंधित सचिव व महासचिव हस्ताक्षर करने से इनकार कर दें तो प्राचार्य को संबंधित बिलों का भुगतान करने के आदेश देने का अधिकार होगा।

(v) प्राचार्य को अधिकार होगा कि संघ के पदाधिकारियों के चुनाव न होने की स्थिति में या चुनाव के पूर्व या उसके भंग होने की स्थिति में संघ की धन राशि में से आवश्यकतानुसार संविधान में दिए गये उद्देश्यों की पूर्ति हेतु व्यय कर सके।

अनुच्छेद 17. बजट :–

(i) बजट कार्यकारिणी द्वारा तैयार किया जायेगा तथा प्रतिनिधि सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित होगा।

(ii) यदि किन्ही कारणों से दो बैठकों में बजट पास न हो सकेगा तो प्राचार्य को संशोधन अथवा बिना संशोधन के बजट पर स्वीकृति देने का अधिकार होगा।

अनुच्छेद 18. प्रतिनिधि सभा व कार्यकारिणी परिषद् की बैठकों से संबंधित नियम :–

(i) प्रतिनिधिसभा व कार्यकारणी परिषद् की अध्यक्षता छात्रसंघ अध्यक्ष करेगा परन्तु उचित कारण होने पर मुख्य परामर्शदाता को अध्यक्षता करने का अधिकार होगा।

(ii) सभा की बैठक के निश्चित समय के आधे घंण्टे में कोरम पूरा न होने पर बैठक अगले सप्ताह के उसी दिन व उसी समय के लिए स्थगित कर दी जायेगी। आयोज्य स्थगित बैठक के आधे घण्टे में उपस्थित सदस्य ही कोरम मान लिया जावेगा तथा सभा की कार्यवाही मान्य होगी।

(iii) स्थगित बैठक को सूचना देकर पहले भी बुलाया जा सकता है।

(iv) बैठकों में प्रोक्सी भेजने की अनुमति नहीं होगी।

(v) यदि किसी विषय पर स्पष्ट बहुमत से निर्णय नही हो पाता है तो परामर्शदाता का मत निर्णायक होगा।

(vi) किसी भी ऐसे विषय पर बैठक में विचार किया जा सकेगा जिसके संबंध में परामर्शदाता व प्राचार्य से पूर्व अनुमति प्राप्त की गई हो।

(vii) किसी भी ऐसे विषय पर बैठक में विचार नहीं किया जायेगा जिसका संबंध किसी आपतिजनक धार्मिक या साम्प्रदायिक विवाद से हो।

(viii) महाविद्यालय के प्रशासन में हस्तक्षेप करने वाले विषयों पर विचार नहीं किया जायेगा।

(ix) किसी बैठक में अनुशासन को भंग करने पर या अशोभनीय शब्दों का प्रयोग करने पर संबंधित सदस्यों को परामर्शदाता की सलाह पर बैठक से निष्कासित किया जा सकता है तथा प्रतिनिधि सभा/ कार्यकारिणी परिषद् की सदस्यता से हमेशा के लिए वंचित किया जा सकता है।

अनुच्छेद 19. कार्यकारिणी परिषद् के प्रति अविश्वास :– यदि कार्यकरिणी परिषद् अथवा कार्यकारिणी के किसी सदस्य के विरूद्ध प्रतिनिधि सभा के एक तिहाई सदस्य आवेदन पत्र परामर्शदाता को प्रस्तुत करेंगे तो परामर्शदाता उचित समय

एक सप्ताह की सूचना देकर प्रतिनिधि सभा की विशेष बैठक आमन्त्रित करेंगे। प्रतिनिधि सभा के उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से जो कि कुल सदस्यों के बहुमत से कम न हो, अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर कार्यकारिणी तत्काल भंग हो जायेगी अथवा सम्बन्धित सदस्य अपदस्थ माना जायेगा। एक सत्र में केवल एक बार ही अविश्वास प्रस्ताव रखने की अनुमति होगी।

अनुच्छेद 20. संविधान में संशोधन ::–संविधान में सशोधन के लिए प्रतिनिधि सभा के 1/3 सदस्यों द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर एक सप्ताह की पूर्व सूचना देकर प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाई जायेगी। अगर प्रतिनिधि सभा 2/3 बहुमत से, जो कि कुल सदस्यों के बहुमत से कम न हो, उस प्रस्ताव को पास कर दे तो संशोधन पारित माना जायेगा। ऐसी बैठक हेतु कोरम संबंधी कुल संख्या का 3/4 माना जायेगा।

अनुच्छेद 21. संरक्षक के अधिकार

(i) निर्वाचन की अधिसूचना, व्यवस्था एवं उसका संचालन संरक्षक द्वारा प्रदत्त आदेशों के अन्तर्गत होगा।

(ii) इस संविधान या इस संविधान के किसी अनुच्छेद या उसके किसी अंश विशेष में राज्य सरकार के निर्देशानुसार अथवा आवश्यकतानुसार संशोधन करने या छात्रसंघ के अस्तित्व में नहीं होंने पर इसे नवीन स्वरूप प्रदान करने की समस्त शक्तियां संरक्षक के पास होंगी।

(iii) इस संविधान के किसी बिन्दु के अर्थ के संबंध में उत्पन्न विवाद का अंतिम समाधान संरक्षक द्वारा किये गये निर्णयानुसार होगा।

(iv) **आपातकालीन व्यवस्था** :– यदि कार्यकारिणी परिषद् अपने कार्य सभालने में पूर्ण या आंशिक रूप में असफल रहे तो उस स्थिति में संरक्षक को यह अधिकार होगा कि आपातकालीन व्यवस्था करे और संविधान के सम्पूर्ण या उसके किसी भाग को हस्तगत करले जो इस संविधान के अन्तर्गत कार्यकारिणी परिषद् को दिए हैं तथा कार्यकारिणी सभा के स्थान पर यथावश्यक नई व्यवस्था करे।

(iv) यह संविधान संरक्षक द्वारा घोषित तिथि से लागू होगा।

अनुच्छेद 22. छात्रसंघ का कार्यकाल :–

(i) प्रत्येक वर्ष छात्रसंघ चुनाव राज्य सरकार के निर्देशानुसार वार्षिक आधार पर आयोजित किये जायेंगे। छात्रसंघ का कार्यकाल सत्र के अंतिम कार्य दिवस को स्वतः ही समाप्त हो जायेगा। पद रिक्त होने पर अध्यक्ष अपने पास का लेखा, कार्यकारिणी के समस्त अभिलेख एवं छात्रसंघ का सारा सामान संरक्षक द्वारा निर्दिष्ट व्यक्ति को सौंप देगा।

(ii) यदि चुनाव सम्पन्न होने के बाद बड़े पदाधिकारी–यथा अध्यक्ष व महासचिव–का कार्यालय पद रिक्त हो जाता है, तो उपाध्यक्ष को अध्यक्ष के पद पर पदोन्नत किया जायेगा। इसी प्रकार महासचिव का पद रिक्त होने पर संयुक्त सचिव को महासचिव के पद पर पदोन्नति दी जायेगी।

☆☆☆☆☆☆☆

प्राचार्य / संरक्षक
सेठ बुद्धमल दूगड़ राजकीय महाविद्यालय,
सरदारशहर, चूरू

एस.बी.डी. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सरदारशहर

छात्रसंघ चुनाव – 2019–20

मतदान सम्बन्धी निर्देश

महाविद्यालय छात्रसंघ चुनाव में मतदान करने वाले सभी विद्यार्थियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है कि वे मतदान करते समय सावधानी पूर्वक मतदान करें ताकि मत–पत्र निरस्त न हो। निम्नलिखित परिस्थितियों में मतपत्र निरस्त/ अवैध हो जायेगा–

1. यदि मतपत्र रिक्त छोड दिया गया हो अर्थात बिना मतदान ही मतपत्र मतपेटी में डाल दिया गया हो।
2. यदि निर्वाचन कक्ष द्वारा उपलब्ध करवाई मोहर **(Arrow Cross Mark Seal)** के अतिरिक्त अन्य किसी उपकरण द्वारा निशान लगाया हो।
3. यदि **Blank Area** में मोहर का निशान लगा हो।
4. एक ही पद के लिये यदि दो या दो से अधिक उम्मीदवारों को मत दिया गया हो।
5. जिस कक्षा/अनुभाग में एक कक्षा प्रतिनिधि चुना जाना है, उसके मतपत्र में एक से अधिक उम्मीदवार के नाम के आगे मोहर लगाने पर मतपत्र रद्द होगा।
6. कक्षा/कक्षा अनुभाग में चुने जाने वाले प्रतिनिधियों की संख्या दो है, उस कक्षा/अनुभाग के मतपत्र में तीन या तीन से अधिक उम्मीदवारों को मत दिया गया हो।
7. जिस कक्षा/अनुभागवार निर्धारित कक्षा प्रतिनिधियों की संख्या से अधिक की संख्या पर मोहर लगाने पर मतपत्र रद्द कर दिया जायेगा। अगर किसी कक्षा/अनुभाग में से दो प्रतिनिधि चुने जाने हैं तो उस कक्षा/अनुभाग के मतपत्र में अधिकतम दो उम्मीदवारों के नाम के आगे मोहर लगाने पर मतपत्र वैध होगा लेकिन दो से अधिक उम्मीदवारों के नाम के आगे मोहर लगाने पर मतपत्र रद्द होगा ।
8. यदि कोई मतदाता अध्यक्ष,उपाध्यक्ष,महासचिव,संयुक्त सचिव पद का मतपत्र कक्षा प्रतिनिधि की मत पेटी में डाल देगा एवं कक्षा प्रतिनिधि पद का मतपत्र अध्यक्ष, उपाध्यक्ष,महासचिव,संयुक्त सचिव पद की मत पेटी में डाल देगा तो वह मतपत्र रद्द होगा।
9. यदि मतदाता की पहचान हो जाती है, तथा मतदाता ने मतपत्र पर हस्ताक्षर कर दिये हों अथवा किसी प्रकार का निशान अंकित कर दिया हो अथवा मतपत्र पर कोई आपत्तिजनक शब्द या चिन्ह अंकित कर दिया गया हो।
10. यदि अनधिकृत मतपत्र का प्रयोग हुआ हो।

मतगणना के नियम

1. दो प्रत्याशियों को प्राप्त मतों की संख्या बराबर होने पर निर्वाचन का निर्णय लॉटरी के द्वारा किया जाएगा। इसे दोनों प्रत्याशियों को मानना होगा।
2. मतपत्र को रद्द करने का अंतिम प्राधिकार मुख्य निर्वाचन अधिकारी को होगा।
3. संदेहप्रद मतपत्र पर भी निर्णय करने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी ही अधिकृत है।
4. मतगणना के दौरान उम्मीदवारों की स्वयं उपस्थित रह सकेंगे। उनके अभिकर्ता को मतगणना स्थल पर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
5. यदि कोई उम्मीदवार मतगणना के दौरान अनुपस्थित रहता है तो भी मतगणना निर्धारित कार्यक्रमानुसार होगी।
6. मतगणना स्थल पर उम्मीदवार अनुशासनबद्ध रहकर व्यवस्था बनाये रखने में महाविद्यालय प्रशासन को सहयोग देंगे।

मतगणना स्थल पर मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने/उपयोग में लाने की अनुमति नहीं होगी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी
छात्रसंघ (सत्र 2019–20)
राजकीय महाविद्यालय, सरदारशहर